सत्यमेव जयते

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

PM/VI/2013-14/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of orders regarding grant of DR 80% from 01.07.2013.

Ref:- 1. Prl. Accountant General (A&E) Uttarakhand SSA No.PA/Pen/UK/DR/2013-14/4023 Dt.02.01.2014
2. Government of Uttarakhand Finance 86/xxvii(7)02/2013 Dt. 24.10.2013

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Principal Accountant General (A&E) , Uttarakhand in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad for information and necessary action.

Sr. Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

4764414618 9/1 Sr. Sec. / PM

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, देहरादून

(ओबराय मोटर्स, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248171)
फोन नं0: 0135–2644967, फैक्स नं0: 0135–2644965

"विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत"

पत्रांकः पी.ए./पेंशन/राहत/उत्तराखण्ड/2013–14/4023 दिनांकः 02-01-2014

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एंव हक)
O/o. Pr. A.G. (A&E)
INWARD
13 JAN 2014
G.No.
आं. प्र. हैदराबाद-500 004
HYDERABAD-500 004.

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
आंध्रप्रदेश, हैदराबाद

विषयः उत्तराखण्ड शासन के बढ़े मंहगाई भत्ते के शासनादेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 761/XXvii(7)02/2013 दिनांक 24.10.2013 को आपको इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि इन्हें आप अपने राज्य के सभी कोषागारों को भिजवाने की व्यस्था करें, ताकि आपके राज्यों से पेंशन प्राप्त कर रहें उत्तराखण्ड राज्य के सभी पेंशनरो को इसका लाभ मिल सकें।

369203
22/1/14

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

Joshi

वरि0 लेखाधिकारी/पेंशन

15422

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा०नि०–वे०आ०)अनुभाग–7
संख्या–761/xxvii(7)02/2013
देहरादून: दिनांक 24 अक्टूबर, 2013

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के पुनरीक्षित/अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वे०आ०–सा०नि०) अनु०– के कार्यालय ज्ञाप संख्या–565/xxvii(7)02/2013, दिनांक 06 जून, 2013 द्वारा दिनांक 01–07–2013 से मंहगाई राहत पुनरीक्षित पेंशनरों को 80 प्रतिशत तथा अपुनरीक्षित पेंशनरों को 166 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है, के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय द्वारा राज्य सरकार के समस्त उपरोक्त उल्लिखित पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06 जून, 2013 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए दिनांक 01–07–2013 से क्रमशः 90 प्रतिशत एवं 183 प्रतिशत दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से भुगतान में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान क अन्तर्गत मंहगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत लागू रहेंगे।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No 761 /xxxvii(7)02/2013
Dehradun: Dated: 24 October, 2013

Office Memorandum

Subject:- Grant of Dearness Relief to state Government Revised/Pre revised Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No-565/xxvii(7)02/2013, dated: 06 June, 2013 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief for revised pension at the rate of 80 % and for unrevised pension at the rate of 166% with effect from 01-07-2013 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all as above subject pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of 80% and 166% respectively with effect from 01 July, 2013, in super session of the rates mentioned in the O.M. dated 06, June 2013 referred as above.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, of to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking /corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective

4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in Om No-A-1-252/x-10(3)-18, dated: April 27, 1989 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Rakesh Sharma)
Addl. Chief Secretary